न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 823/2023
अनवानः–

1. भीमसिंह पुत्र सार्दुलसिंह जाति राजपूत साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. रणवीरसिंह पुत्र सार्दुलसिंह जाति राजपूत साकिन नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. भैरूसिंह राठौड़ पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मुकेश सिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. लालचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
5. महावीर पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
6. चन्द्रावली पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
7. विमला पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
8. मुकेश कुमार पुत्र कुनणराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
9. राजेश बुडानिया उर्फ राजेन्द्रकुमार पुत्र सावित्री पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी नेजीया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल निवास वार्ड नम्बर 13 कस्बा नोहर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत खाता विभाजन अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– 1. श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
2. पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 4/01/24

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया गया है कि रोही मौजा रातूसर तहसील नोहर के खाता संख्या 12/12 की कुल 16.5080 हैक्ट भूमि वादीगण नम्बर 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व जैता पत्नी ख्यालीराम के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जैता पत्नी ख्यालीराम का देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण संख्या 4 ता 9 है तथा उसके हिस्से के हकदार व खातेदार काश्तकार है।

वादी एवं प्रतिवादीगण की उक्त वाद भूमि मुश्तरका दर्ज है। वाद भूमि मुश्तरका खाता की होने के कारण वाद भूमि को लेकर सीव लगान का झगड़ा रहता है तथा काश्त के संबंध में भी झगड़ा रहता है। इसलिए मुताबिक कब्जा काश्तक व हक हिस्सा वादी अपना खाता व लगान प्रतिवादीगण संख्या से अलग करवाना चाहता है।

वादी ने प्रतिवादीगण को कई दफा कहा की उक्त भूमि का खाता व लगान मुताबिक हक हिस्सा व कब्जा काश्त अलग से तकसीम करवा ले तो पहले तो आजकल आजकल करते रहे आखिर इन्कार हो गये। इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी स0 1 ता 9 ने वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल जवाब दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण को कोई ऐतराज नही है। वाद को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार नोहर से विभाजन प्रस्ताव प्राप्त किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:32 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसीलदार नोहर से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण एवं वकील प्रतिवादीगण ने निवेदन किया की मुताबिक विभाजन प्रस्ताव वाद वादीगण डिक्री किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रकरण में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा रातूसर तहसील नोहर के खाता संख्या 12/12 की कुल 16.5080 हैक्ट भूमि वादीगण नम्बर 1 व 2 तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 व जैता पत्नी ख्यालीराम के मुश्तरका खाता में दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि का अन्य सहखातेदारान से खाता व लगान अलग कायम करवाने हेतु वाद पेश किया है। वादीगण द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता संख्या 12/12 की 16.5080 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह कौम राजपुत सा0 नोहर– ख0न0 134/2 में से 0.9171 हैक्ट बारानी प्रथम

2. भैरूसिंह राठौड़ पुत्र भीमसिंह कौम राजपूत सा0 नोहर– ख0न0 134/2 में से 0.9171 हैक्ट बारानी प्रथम

3. भूमसिंह पुत्र सार्दुल सिंह कौम राजपुत सा देह खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नोहर मूर्त– 134/2 में से 4.9017 हैक्ट व 216/2 में से 0.601 हैक्ट कुल किता 2 की 5.5027 हैक्ट बारानी प्रथम

4. मुकेश सिंह पुत्र भीमसिंह कौम राजपूत सा0 नोहर खातेदार 134/2 में से 0.9171 बारानी प्रथम

5. रणवीर सिंह पुत्र सार्दुलसिंह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर मूर्त 134/2 में से 4.9017 हैक्ट, 216/2 में से 0.601 हैक्ट कुल किता 2 की 5.5027 हैक्ट बारानी प्रथम

6. जैता पत्नी ख्यालीराम कौम जाट सा0 देह खातेदार 134/2 में से 2.7513 हैक्ट

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

निर्णय आज दिनांक 4/01/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:32 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

अतिम पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : **सत्यनारायण (आर0ए0एस0)**
प्रकरण संख्या – 823 / 2023
अनवानः–

1. भीमसिंह पुत्र सार्दुलसिंह जाति राजपूत साकिन नोहर तहसील नोहर।
2. रणवीरसिंह पुत्र सार्दुलसिंह जाति राजपूत साकिन नोहर तहसील नोहर।

– वादीगण

बनाम

1. गजेन्द्रसिंह पुत्र रणवीरसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
2. भैरूसिंह राठौड़ पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
3. मुकेश सिंह पुत्र भीमसिंह जाति राजपूत निवासी नोहर तहसील नोहर।
4. लालचन्द पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
5. महावीर पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
6. चन्द्रावली पुत्र ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
7. विमला पुत्री ख्यालीराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
8. मुकेश कुमार पुत्र कुनणराम जाति जाट साकिन श्योरानी तहसील नोहर।
9. राजेश बुडानिया उर्फ राजेन्द्रकुमार पुत्र सावित्री पत्नी देवीलाल जाति जाट निवासी नेजीया खेड़ा तहसील व जिला सिरसा हाल निवास वार्ड नम्बर 13 कस्बा नोहर तहसील नोहर।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 823 सन 2023 निर्णय दिनांक 4/01/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री विजयसिह कड़वासरा व वकील प्रतिवादी श्री अंजनी कुमार अधिवक्ता की उपस्थिति निर्णायार्थ प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादीगण मुताबिक विभाजन प्रस्ताव अन्तिम डिक्री किया जाकर रोही मौजा रातुसर तहसील नोहर के खाता संख्या 12 / 12 की 16.5080 हैक्ट भूमि का पक्षकारान के हिस्सा अनुसार निम्नानुसार खाता व लगान अलग से कायम किया जाता है–

1. गजेन्द्र सिंह पुत्र रणवीर सिंह कौम राजपुत सा0 नोहर– ख0न0 134 / 2 में से 0.9171 हैक्ट बारानी प्रथम

2. भैरूसिंह राठौड़ पुत्र भीमसिंह कौम राजपूत सा0 नोहर– ख0न0 134 / 2 में से 0.9171 हैक्ट बारानी प्रथम

3. भूमसिंह पुत्र सार्दुल सिंह कौम राजपुत सा देह खातेदार रहन ओबीसी बैंक शाखा नोहर मूर्त– 134 / 2 में से 4.9017 हैक्ट व 216 / 2 में से 0.601 हैक्ट कुल किता 2 की 5.5027 हैक्ट बारानी प्रथम

4. मुकेश सिंह पुत्र भीमसिंह कौम राजपूत सा0 नोहर खातेदार 134 / 2 में से 0.9171 बारानी प्रथम

5. रणवीर सिंह पुत्र सार्दुलसिंह कौम राजपूत सा0 देह खातेदार रहन ओबीसी शाखा नोहर मूर्त 134 / 2 में से 4.9017 हैक्ट, 216 / 2 में से 0.601 हैक्ट कुल किता 2 की 5.5027 हैक्ट बारानी प्रथम

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:32 IST
Reason: SelfAttested

6. जैता पत्नी ख्यालीराम कौम जाट सा0 देह खातेदार 134 / 2 में से 2.7513 हैक्ट

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ़)

तहसीलदार नोहर को आदेशित किया जाता है कि किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही हो तो उपरोक्तानुसार खाता व लगान अलग से कायम करते हुए राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाकर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। यदि पक्षकारान का हिस्सा किसी बैंक के रहन है तो रहन को पक्षकारान के हिस्सा पर स्थानान्तरण करते हुए राजस्व रिकार्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद किया जावे एव तहसीलदार नोहर के विभाजन प्रस्ताव व नजरीय नक्शा को अन्तिम डिक्री का भाग पढ़ा जावें। खर्चा उभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करे। अंतिम पर्चा डिक्री जारी हों।

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 4/01/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

(सत्यनारायण R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर नोहर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2024.01.18 12:09:32 IST
Reason: SelfAttested